

272

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-व-15(5)आरपीए/जन/मनु सदन/आरक्षण/13/6565-75 दिनांक:- 13.07.16.

कार्यालय आदेश

राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित मनुसदन एवं मरुधर सदन में अस्थाई निवास हेतु पूर्ववर्ती समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित दरें दिनांक 16.07.2016 से देय होगी।

क्र.सं.	वर्गीकरण	राज0 पुलिस सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (राज. कैंडर) के (सेवारत / सेवानिवृत्त) अधिकारीगण	राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त अन्य पुलिस संगठन के (सेवारत/सेवानिवृत्त) राजपत्रित अधिकारीगण	अन्य अतिथि (विशेष अनुमति से)
1.	सामान्य कमरा	150 / रु	250 / रु	400 / रु
2.	वातानुकूलित कमरा	250 / रु	400 / रु	600 / रु
3.	नाश्ता	50 / रु	60 / रु	60 / रु
4.	लंच / डिनर	75 / रु	90 / रु	120 / रु
5.	लंच / डिनर / स्वीट डिश	100 / रु	120 / रु	150 / रु
6.	चाय	12 / रु	12 / रु	12 / रु
7.	कॉफी	15 / रु	15 / रु	15 / रु
8.	दूध	20 / रु	20 / रु	20 / रु
9.	नींबू पानी	10 / रु	10 / रु	10 / रु
	मनुसदन एनेक्सी के लिये:-			
10.	कमरा ए0सी	350 / रु	500 / रु	750 रु
11.	वी वी आई पी कमरा	500 / रु	750 / रु	1000 / रु

1. मनुसदन (एनेक्सी) में सामान्यतः 7 दिवस निवास किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में उप निदेशक की अनुमति से 15 दिवस तक तथा निदेशक की अनुमति से 45 दिवस तक निवास किया जा सकता है।
2. अन्य खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ बाजार दर से होंगे। अतिथिगणों से 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज पृथक से लिया जायेगा।
3. अतिरिक्त बेड लेने पर 75 / रु प्रति बेड देय होगा।
4. आर.पी.एस. (प्रो.) से अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उपरोक्त चार्ज देय नहीं होगा अपितु प्रतिदिन 15 रु. रख-रखाव शुल्क देना होगा।

Signature
13.7.16

(राजीव दासोत)

अति.महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. समस्त सहायक निदेशक गण, आर.पी.ए जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक/उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. लेखाधिकारी, आर.पी.ए. जयपुर।
4. प्रभारी मनुसदन/मरुधर सदन, आर.पी.ए. जयपुर।
5. कार्यालय प्रति/नोटिस बोर्ड प्रति, आर.पी.ए. जयपुर।

Signature
उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर